

संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन करने एवं 'प्रयास' की अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रदत्त संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

दिनांक _____ माह _____ वर्ष _____ को हस्ताक्षरित, प्रयास फाउंडेशन कोर्स (समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम) के संचालन एवं 'प्रयास' की अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा प्राइवेट लिमिटेड एच-19 चतुर्थ चरण, राप्ती नगर गोरखपुर (उ.प्र) 273013 (इसके बाद मात्र 'प्रयास' कहा गया है) तथा श्री _____ पुत्र _____ पता _____ जो गतिविधि भागीदार-व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहते हैं (इसके बाद उनके लिए मात्र 'मार्गदर्शक' लिखा गया है), के लिए प्रदत्त सहमति पत्र।

इस सहमति पत्र की शर्तें निम्न हैं।

अ:मार्गदर्शक की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'मार्गदर्शक' प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी सभी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभायेगा।

1. मार्गदर्शक डिजिटल माध्यम (उपलब्ध लिंक) से मात्र 100 रूपये की पंजीकरण राशि जमा करके स्वयं को 'प्रयास' के 'गतिविधि भागीदार-व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक' के रूप में पंजीकृत कराएगा।
2. वह इन्टरनेट कनेक्शन वाला एक स्मार्ट फ़ोन हमेशा अपने पास रखेगा ताकि उसे 'प्रयास' द्वारा सभी आवश्यक सूचनाये एवं प्रपत्र ईमेल या व्हात्सप या अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा त्वरित गति से प्रेषित की जा सके। पूरा कोर्स भी वह अपने फ़ोन से ही संचालित करेगा।
3. यह कोर्स उसके द्वारा मात्र आठवीं तथा उसके ऊपर के छात्रों एवं 13 वर्ष के ऊपर से बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए संचालित एवं प्रबंधित किया जायेगा।
4. इस कोर्स के लिए बच्चों का एक बैच बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि उसमें शामिल प्रतिभागियों की आयु में एक वर्ष से अधिक का अन्तर न हो। वयस्कों के मामले में 25 वर्ष से 60 वर्ष, 60 वर्ष के ऊपर और 75 वर्ष तक और 75 से अधिक आयु से व्यक्तियों के लिए अलग अलग समूह बनाए जायेंगे।
5. इस पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि मात्र 6 माह होगी बशर्ते सप्ताह में छः दिन 90 मिनट का इसका एक सत्र चलाया जाय। यदि सप्ताह में इसको संचालित करने के दिन या सत्र की अवधि में प्रतिभागियों एवं इसको संचालित करने वाले व्यक्ति या संस्था की सुविधानुसार परिवर्तन किया जाता है तो इसकी अवधि तदानुसार परिवर्तित हो जायेगी। लेकिन इसके लिए 'प्रयास' की पूर्व अनुमति लिखित रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. किसी एक बैच के एक बार आरम्भ हो जाने के बाद उस बैच में किसी नए प्रतिभागी का प्रवेश नहीं लिया जाएगा। नए प्रतिभागी का प्रवेश अगले बैच या किसी अन्य समानांतर बैच में ही लिया जा सकता है।

7. एक बैच में प्रतिभागियों की संख्या 15 होगी। 75 वर्ष से अधिक के प्रतिभागियों के लिए अधिकतम संख्या 10 होगी।
8. सम्बंधित मार्गदर्शक इस कोर्स के संचालन और प्रबंधन तथा मार्गदर्शन के लिए 'प्रयास' से निशुल्क प्रशिक्षण वेबिनार द्वारा प्राप्त करेगा।
9. अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद ही उसे 'प्रयास' द्वारा अपने गतिविधि भागीदार- व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जायेगी और इस कोर्स को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
10. इस कोर्स के लिए प्रति कार्यदिवस को प्रति बैच 90 मिनट के अतिरिक्त समय की व्यवस्था मार्गदर्शक प्रतिभागियों की सुविधानुसार करेगा। किसी कारणवश कोर्स के बिलम्बित होने पर आवश्यकतानुसार इसे कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन दो घंटा या उससे से भी अधिक समय चलाने की व्यवस्था करेगा ताकि यह कोर्स छात्रों की वार्षिक परीक्षा के पहले ही समाप्त हो सके। वयस्कों के मामले में यह प्रतिबद्धता नहीं होगी।
11. यदि किसी कारणवश वह कोर्स बंद कर देता है तो सहमति पत्र के अनुसार उसके लिए 'प्रयास' की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और इसके लिए मार्गदर्शक ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में यह सहमति पत्र निरस्त हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में यदि स्थिति मार्गदर्शक के नियंत्रण के बाहर है तो 'प्रयास' अधूरे कोर्स को पूरा कराने के लिए वैकल्पित मार्गदर्शक उपलब्ध कराएगा बशर्ते मार्गदर्शक अपनी आय में से आनुपातिक आय उसे देने के लिए तैयार हो।
12. विचारमंथन हेतु प्रश्नोत्तर ईमेल से भेजे जायेंगे और वह आवश्यकतानुसार विचारमंथन हेतु डिजिटल फॉर्म में ही इस्तेमाल करेगा।
13. मार्गदर्शक प्रतिदिन प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी रूचि के विषय विन्दु पर एक पृष्ठ लिखकर ऐप पर पोस्ट करवाएगा और प्रतिदिन सभी प्रतिभागियों से इसकी पुष्टि करने के बाद ही विचारमंथन प्रक्रिया को आरम्भ करेगा।
14. मार्गदर्शक कोर्स के संचालन से तरीकों, पाठ्यक्रम और उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके 'प्रयास' को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
15. किसी भरे बैच को आरंभ करने के पूर्व प्रत्येक प्रतिभागी से 50% अग्रिम फीस डिजिटल माध्यम से सीधे 'प्रयास' को उपलब्ध पेमेंट लिंक से जमा करवाएगा और बाकी 50% तीसरे माह के 10 तारीख के पूर्व जमा कराना सुनिश्चित कराएगा।
16. इस कोर्स का कुल शुल्क मात्र 5000 (पांच हजार) रूपये है। इस शुल्क का 30 % व्यक्तित्व परीक्षण, शैक्षणिक एवं तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'प्रयास' अपने पास रोककर बाकी 70% राशि मासिक किस्तों में किसी भी महीने के पूरा होने के बाद अगले महीने की दस तारीख के पूर्व 'व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक' के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से स्थान्तरित कर दी जायेगी। 'प्रयास' द्वारा इसका शुल्क बढ़ाया जा सकता है परन्तु यह बढ़ोत्तरी नए बैच से लागू होगी। मार्गदर्शक को बढ़े शुल्क का पूर्व-निर्धारित हिस्सा मिलेगा।
17. 'प्रयास' के अधिकृत अधिकारी किसी भी बैच के किसी भी विचारमंथन सत्र में डिजिटल माध्यम से यह देखने के लिए स्वतंत्र हैं कि मार्गदर्शक द्वारा इसे कैसे चलाया जा रहा है और वे अपना सुझाव उस मार्गदर्शक तथा 'प्रयास' को दे सकते हैं।

18. मार्गदर्शक 'प्रयास' को व्यक्तित्व विकास के सम्बंधित सभी गतिविधियों जिसमें व्यक्तित्व विकास में सहायक साहित्य या पुस्तकों की विक्री भी शामिल है, में परस्पर विचार-विमर्श से निर्धारित शर्तों के अनुसार सहयोग करेगा।
19. मार्गदर्शक 'प्रयास' से समय समय पर जारी निर्देशों का परिपालन करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 'प्रयास' यह सहमति पत्र निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ब: 'प्रयास' की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'प्रयास' स्वेच्छा से **प्रयास फाउंडेशन कोर्स** के संचालन एवं प्रबंधन से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभायेगा। नियमानुसार 50% अग्रिम शुल्क कोर्स आरंभ होने के पूर्व और बाकी तीसरे माह की 10 तारीख के पूर्व प्राप्त हो जाने के बाद निम्न जिम्मेदारियां क्रमशः निभाएगा।

1. मार्गदर्शक की पात्रता की जाच करने एवं पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद उसका पंजीकरण करेगा और उसके लिये एक विशिष्ट कूट संख्या आवंटित करेगा जिसका उपयोग वह सभी पत्रचार आदि में करेगा।
2. मार्गदर्शक को विचारमंथन प्रक्रिया के संचालन, एवं प्रतिभागियों को दैनिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वेबिनार के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो पूर्णतया निशुल्क होगा।
3. एक बार में 10 प्रश्नोत्तर विचारमंथन हेतु ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा परन्तु यह जिम्मेदारी मार्गदर्शक की होगी कि 5 प्रश्नों पर विचारमंथन शेष रहते ही वह अतिरिक्त प्रश्नों की मांग 'प्रयास' से करे।
4. प्रतिपुष्टि के आधार पाठयक्रम का समय समय पर अद्यतीकरण करेगा।
5. कोर्स की समाप्ति से पहले सभी प्रतिभागियों की व्यक्तित्व विकास रापर उन्हें ईमेल कर दी जायेगी।
6. क्षेत्र प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि विचारमंथन हेतु प्रश्नों की कमी न पड़े।
7. यदि व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक अपने नेटवर्क का विस्तार करता है तो उसे नेटवर्क विस्तार प्रोत्साहन राशि सकल आय के 1% की दर से और यदि उनके नीचे उसे छोड़कर चार स्तर नीचे तक 100 या इससे अधिक हो जाते हैं 1% की अतिरिक्त लीडरशिप बोनस राशि का भुगतान करना 'प्रयास' की जिम्मेदारी होगी।
8. इस चक्र से पूरा होते ही इस कोर्स के किसी एक बैच के सम्बन्ध में 'प्रयास' की जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी।

उपरलिखित शर्तों में परस्पर विचार विमर्श से परिवर्तन किया जा सकता है

| | |
|--|--|
| <p>व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक का हस्ताक्षर</p> <p>-----</p> <p>पिता का नाम</p> <p>(पता के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न)</p> | <p>कृते प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्रा) लि, गोरखपुर</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| ----- | |
| गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) | गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न) |